प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 37/2022 दिनांक – 08/02/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7ए
   (ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (स) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 146 समय – 6:00 Pm
   ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 07.02.2022 समय – 05.20 पी.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.01.2022 समय – 06.15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख दक्षिण 220 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– होटल कार्प के पास भीनमाल जिला जालोर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – राजुसिंह (ब) पिता/पति का नाम – श्री किशोरसिंह
      (स) जन्म तिथि/वर्ष – 49 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
      (य) व्यवसाय – ठेकेदारी (र) पता – 136, राजपूतों का वास, कुशलापुरा पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर उम्र 65 साल निवासी 68,वैष्णव नगर, बी.आर. बिडला स्कूल के पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर।
   2. श्री कुन्दन मल सुथार पुत्र श्री लच्छीराम जी जाति सुथार उम्र 48 साल निवासी ग्राम उम्मेदपुर तहसील आहोर जिला जालोर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जालोर।
   3. प्रकाश कुमार पुत्र श्री रामलाल जी जाति माली उम्र 37 साल निवासी नागरिक बैक के सामनें, शास्त्रीनगर कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली जिला जालोर हाल संविदाकर्मी कम्प्युटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 20,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर

विषयः– मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी 136 राजपूतो का वास कुशलापुरा पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर का रहने वाला हूं। मैं व्यवसाय से ठेकेदार हूं। मेरी कम्पनी का नाम मैसर्स चौहान कन्स्ट्रेक्शन भीनमाल है, जो सरकारी टेन्डर से बिल्डिंग निर्माण का कार्य करता हूं। वर्ष 2015 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला जालोर के वर्क ऑर्डर ईई/एमएच/जालोर/35/2014–15 के तहत मैनें ग्राम पाथेड़ी जिला जालोर में आवासीय क्वार्टर पीएचसी भवन क्षेत्र में बनाये थे, जिसका अंतिम बिल पेश करके कार्य की एनओसी प्राप्त कर ली गई थी। उक्त कार्य का टेन्डर करीब 85 लाख रूपये था जिसमें से करीब 65 लाख का कार्य करवाया गया था। उसके बाद वर्ष 2017 में कार्य पूर्ण करवाया जाकर लागत राशि के बिल पास करवाये गये। उक्त टेन्डर के कार्य राशि का 10 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट/एसडी करीब 6.50 लाख रूपये विभाग में जमा थे। नियमानुसार कार्य के पूर्ण होने के तीन वर्ष बाद एसडी राशि स्वतः ही कस्ट्रेक्शन कम्पनी के एकाउंट में जमा होनी होती हैं लेकिन पिछले कई महिनों से जालोर पीएचसी विभाग जालोर के सहायक अभियंता श्री सुनिल माथुर व एएओ ने एसडी रिलीज करने के बदले 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की जो आज तक नहीं देने के कारण मेरी एसडी राशि रिलीज नहीं की गई। एक दो रोज पहले मैं जालोर स्थित पीएचसी विभाग गया तो सहायक अभियंता श्री सुनिल माथुर जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है, कार्यालय के कमरे में काम करते हुए मिले तब उन्होनें कहा कि मैं आपकी एसडी राशि रिलीज कर दूगां बेक डेट में। आप लास्ट तीन प्रतिशत कमीशन लेकर आ जाओ। तब मैनें कहा कि आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हो कैसे करोगें तो श्री सुनिल माथुर ने कहा कि वर्तमान में मेरे समय के पडिंग कार्य पर अधिकारियों के कहने से बेक डेट में काम निकाल रहा हूं। कार्यालय में उनके पास ही कार्यरत एएओ साहब ने भी अपने खर्चे पानी के 1 प्रतिशत कमीशन की मांग की है। श्रीमान मैं मेरे हक की एसडी राशि वैध तरीके से प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन श्री सुनिल माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जो आज भी जालोर स्थित कार्यालय में काम कर रहा है मुझसे मेरी एसडी राशि रिलीज करने के बदले में कमीशन की मांग कर रहा है व साथ में कार्यरत एएओ सुथार साहब भी अपना अलग से कमीशन मांग रहे है, जो मैं देना नहीं चाहता हूं बल्कि इन दानों अधिकारीयों को रशिवत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप करवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करवावे। मेरी उक्त दोनों अधिकारियों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। रिपोर्ट के साथ मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं कार्य के आवश्यक दस्तावेज पेश कर रहा हूं।

दिनांकः– 20.01.2022

एसडी
राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह
जाति राजपूत निवासी 136 राजपूतो का वास कुशलापुरा
पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर मोबाईल
नम्बर 7742195056

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 20.01.2022 समय 6.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट के साथ कार्यालय हाजा उपस्थित आया। उक्त मजमून से मामला भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी

(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
20/01/2022

एसडी
(प्रहलादसिंह चौहान)
पटवारी
27/01/2022

एसडी
(जुबेर खॉ)

कनिष्ठ सहायक

27/01/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 20.01.2022 समय 06.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री राजुसिह पुत्र श्री किशोर सिह जाति राजपूत उम्र 49 वर्ष निवासी 136, राजपूतों का बास, कुशलापुरा पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि '' मैं राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी 136 राजपूतो का वास कुशलापुरा पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर का रहने वाला हूं। मैं व्यवसाय से ठेकेदार हूं। मेरी कम्पनी का नाम मैसर्स चौहान कन्स्ट्रेक्शन भीनमाल है, जो सरकारी टेन्डर से बिल्डिंग निर्माण का कार्य करता हूं। वर्ष 2015 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला जालोर के वर्क ऑर्डर ईई/एमएच/जालोर/35/2014–15 के तहत मैनें ग्राम पाथेड़ी जिला जालोर में आवासीय क्वार्टर पीएचसी भवन क्षेत्र में बनाये थे, जिसका अंतिम बिल पेश करके कार्य की एनओसी प्राप्त कर ली गई थी। उक्त कार्य का टेन्डर करीब 85 लाख रूपये था जिसमें से करीब 65 लाख का कार्य करवाया गया था। उसके बाद वर्ष 2017 में कार्य पूर्ण करवाया जाकर लागत राशि के बिल पास करवाये गये। उक्त टेन्डर के कार्य राशि का 10 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट/एसडी करीब 6. 50 लाख रूपये विभाग में जमा थे। नियमानुसार कार्य के पूर्ण होने के तीन वर्ष बाद एसडी राशि स्वतः ही कस्ट्रेक्शन कम्पनी के एकाउंट में जमा होनी होती हैं लेकिन पिछले कई महिनों से जालोर पीएचसी विभाग जालोर के सहायक अभियंता श्री सुनिल माथुर व एएओ ने एसडी रिलीज करने के बदले 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की जो आज तक नहीं देने के कारण मेरी एसडी राशि रिलीज नहीं की गई। एक दो रोज पहले मैं जालोर स्थित पीएचसी विभाग गया तो सहायक अभियंता श्री सुनिल माथुर जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है, कार्यालय के कमरे में काम करते हुए मिले तब उन्होनें कहा कि मैं आपकी एसडी राशि रिलीज कर दूगां बेक डेट में। आप लास्ट तीन प्रतिशत कमीशन लेकर आ जाओ। तब मैनें कहा कि आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हो कैसे करोगें तो श्री सुनिल माथुर ने कहा कि वर्तमान में मेरे समय के पडिंग कार्य पर अधिकारियों के कहने से बेक डेट में काम निकाल रहा हूं। कार्यालय में उनके पास ही कार्यरत एएओ साहब ने भी अपने खर्चे पानी के 1 प्रतिशत कमीशन की मांग की है। श्रीमान मैं मेरे हक की एसडी राशि वैध तरीके से प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन श्री सुनिल माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जो आज भी जालोर स्थित कार्यालय में काम कर रहा है मुझसे मेरी एसडी राशि रिलीज करने के बदले में कमीशन की मांग कर रहा है व साथ में कार्यरत एएओ सुथार साहब भी अपना अलग से कमीशन मांग रहे है, जो मैं देना नहीं चाहता हूं बल्कि इन दानों अधिकारीयों को रशिवत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप करवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करवावे। मेरी उक्त दोनों अधिकारियों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। रिपोर्ट के साथ मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं कार्य के आवश्यक दस्तावेज पेश कर रहा हूं।'' परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से मंगवाकर परिवादी श्री राजुसिंह को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 07.05 पी.एम. पर कार्यालय के श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री प्रकाश कानि. व परिवादी श्री राजुसिंह का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को सुपर्द कर परिवादी श्री राजुसिंह व आरोपी श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, एएओं सुथार के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री राजुसिंह व श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को जिला जालोर के लिए कार्यालय से परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया।

दिनांक 21.01.2022 वक्त 02.20 पी.एम. पर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 व परिवादी श्री राजुसिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आये व श्री प्रकाश कानि 265 ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी कार्यालय से दिनांक 20.01.2022 को गोपनीय कार्यवाही हेतु जालोर निकले थे। जिस पर समय 08.45 पी.एम. पर परिवादी श्री राजुसिंह के मोबाईल नम्बर 7742195056 से आरोपी श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414978654 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके कॉल करवाया जाकर परिवादी व आरोपी के बीच हुई मांग सत्यापन वार्तालाप को रिकॉर्ड किया गया। जिसमें आरोपी श्री सुनील

माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता नें परिवादी को दिनांक 21.01.2022 को कार्यालय समय में आनें हेतु कहा व बैक डेट में हस्ताक्षर करनें की बात कही गई। इसके बाद मै व परिवादी जालोर पहुंचे। जालोर से परिवादी के घर पर पहुंच रात्रि विश्राम किया गया। आज सुबह परिवादी श्री राजुसिंह व मै आरोपी के कार्यालय के बाहर पहुंचकर समय 11.28 ए.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को देकर आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता करनें के लिए रवाना किया गया। मै गोपनीय रूप सें कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छिपातें हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री राजुसिंह मेरे पास आया। मैनें उनसें डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर लेकर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। श्री राजुसिंह नें मन् कानि. को बताया कि स्वास्थ्य विभाग के उपर स्थित सिविल विंग कक्ष कार्यालय में आरोपी सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, एएओं श्री सुथार साहब व श्री प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर के मध्य मांग सत्यापन वार्तालाप हुई है। जिस पर श्रीमान को हालात निवेदन कर कार्यालय परिवादी के साथ उपस्थित हुआ हू। जिस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी श्री राजुसिंह व आरोपी श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी के एसडी राशि करीब 6.50 लाख रूपयें रिलीज करनें की एवज में एसडी राशि का 02 से 03 प्रतिशत कमीशन ईशारें सें 15000 रूपयें की रिश्वति राशि की मांग करना, एएओं श्री सुथार द्वारा पूर्व के कार्य के अलावा इस कार्य के लिए भी खर्चा पानी मेहनताना के रूप में रिश्वत राशि की मांग करना व ईशारें सें 5 अंगुली दिखाकर 5000 रूपयें का बताना एवं श्री प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा भी परिवादी से उनके काम करनें की एवज में रिश्वत की एईएन से मिलीभगत करने की पुष्टि हुई है। कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 03.45 पी.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होनें के कारण सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम तहरीर कमांक 175 दिनांक 21.01.2022 जारी कर गवाह तलबी हेतु श्री गणेश कानि. नम्बर 219 को तहरीर सहित जेडीए जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 04.15 पी.एम. पर श्री गणेश कानि. नम्बर 219 जेडीए जोधपुर से कार्यालय हाजा उपस्थित आया और एक तहरीर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की । जेडीए जोधपुर द्वारा गवाह श्री जुबेर खान कनिष्ठ सहायक व श्री प्रहलादसिंह पटवारी जेडीए जोधपुर को गोपनीय कार्यवाही हेतु नामित कर पाबन्द किया गया है। जिनकों गोपनीय कार्यवाही हेतु बुलाये जानें पर कार्यालय हाजा उपस्थित आनें हेतु पाबन्द किया गया। तहरीर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 04.45 पी.एम. पर परिवादी को आरोपीगण द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि कमीशन के रूप में 15000 रूपयें सहायक अभियन्ता श्री सुनील माथुर एव 5000 रूपयें एएओं सुथार एवं प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर हेतु व्यवस्था कर कार्यालय हाजा उपस्थित आवे। अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 24.01.2022 वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री राजुसिंह नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाटसअप पर काल कर बताया कि श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता का पता करनें पर मालूम हुआ कि सुनील माथुर दिनांक 27.01.2022 कों जालोर कार्यालय में उपस्थित आयेगे। जिस पर मै रिश्वत की राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में दिनांक 27.01.2022को कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतनें की हिदायत दी गई।

दिनांक 27.01.2022 वक्त 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री राजुसिह पूर्व से पाबन्द शुदा रिश्वति राशि की व्यवस्था के साथ कार्यालय हाजा उपस्थित आया।

वक्त 09.35 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री जुबेर खान व प्रहलाद सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आये है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान से बारी–बारी से परिचय पुछने पर अपना परिचय श्री जुबेर खान पुत्र श्री शेरखान जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी 21 ई–193, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9887552143 तथा श्री प्रहलाद सिह चौहान पुत्र श्री डूंगरसिंह चौहान जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी द्वितीय पहाडगंज कॉलोनी, लालसागर रोड जोधपुर हाल पटवारी, कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9782392209 होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजुसिंह व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजुसिंह द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट को पढकर दोनो गवाहान को सुनाई गई और दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की टाईपशुदा लिखित

रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 21.01.2022 कों परिवादी श्री राजुसिह एवं आरोपी श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, एएओं श्री सुथार एवं श्री प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित वार्ताओं के मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 09.55 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी 136 राजपूतो का वास कुशलापुरा पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री राजुसिंह ने भारतीय मुद्रा संदिग्ध अधिकारी दो होने से पृथक–पृथक दी जानें वाली राशि 15000 रूपयें सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्री सुनील माथुर पीएचसी विभाग जालोर को एवं 5000 रूपयें अन्य आरोपी एएओं साहब सुथार जी पीएचसी विभाग जालोर को दी जाने वाली कुल राशि 20,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री राजुसिंह द्वारा रिश्वति राशि 15000 रूपयें जो आरोपी श्री सुनिल माथुर सेवानिवृत सहायक अभियन्ता को दी जानी वाली एवं 5000 रूपयें एएओं श्री सुथार साहब को दी जानें वाली रिवशति राशि के नोट प्रसतुत किये गये। जिस पर श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। तत्पश्चात् श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 15000/– रूपये एवं 5000 रूपये के नोटो पर श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राजुसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री जुबेर खान से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 7742195056 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 15000 रूपये जो श्री सुनील माथुर सेवानिवृत सहायक अभियंता को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी राजुसिंह के पहनी हुये पेन्ट की दाहिनी जेब में एवं अन्य आरोपी एएओ को दी जाने वाली राशि 5000 रूपये के नोटों को परिवादी श्री राजूसिंह के पहने हुए पेन्ट की बाई जेब में श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राजूसिंह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पृथक–पृथक निकाल कर देवे तथा आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर के मोबाईल नं. 9460453110 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति मधुमति के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति मधुमति से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों एवं दोनों सफेद लिफाफो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति मधुमति से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपीगण के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की पृथक सें फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित गण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान ही आरोपी श्री सुनील माथुर की जानकारी हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 7742195056 से आरोपी श्री सुनील माथुर के मोबाईल नम्बर 9414978654 पर कॉल करवाकर परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर प्रकाश कानि. से रिकॉर्ड करवाई गई। वार्ता में आरोपी श्री सुनील माथुर द्वारा परिवादी को रिश्वति कमीशन के रूप में ही देनें एवं परिवादी द्वारा 12000 रूपयें का कहनें पर आरोपी द्वारा बारगैनिंग का मना करनें एवं दो प्रतिशत से कम नही देनें एवं स्वयं कों कोरोना हो जानें से कार्यालय में उपस्थित नही होनें की मजबूरी सें अपने हिस्से की रिश्वति राशि प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर को देने हेतु कहा गया। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जावेगी। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि सें अपनें पास सुरक्षित रखा। अब तक की कार्यवाही के हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर को निवेदन किये जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जानें का निर्णय लिया गया।

वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री राजुसिंह को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा खर्चे के 5,000/– रूपये अपने पास रखे।

वक्त 11.08 ए.एम. पर मन् डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि., श्री राजेन्द्रसिंह कानि., श्री प्रकाश कानि., श्री देवाराम कानि 373, श्री गणेश कानि. नम्बर 219, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री राजुसिह तथा ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक खम्माराम, निजी कार.के ब्यूरों का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से जिला जालोर के लिए रवाना हुए।

वक्त 05.40 पी.एम. पर कार्यालय से सुबह समय 11.08 ए.एम. से रवाना शुदा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। हालात इस प्रकार से है कि कार्यालय से रवाना होकर जालोर भीनमाल बाईपास स्थित स्वास्थ्य विभाग जालोर के पास पहुचे। वाहनों को गोपनीय स्थान पर खडा करवाकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. से ऑन करवाकर रिकॉर्डर परिवादी श्री राजुसिंह को सुपर्द करवाकर रिश्वति राशि के आदान प्रदान हेतु परिवादी को स्वास्थ्य विभाग जालोर हेतु रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के गोपनीय ईशारें के इन्तजार में स्वास्थ्य विभाग जालोर के आसपास अपनी उपस्थिति छिपातें हुए मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री राजुसिंह बिना ईशारा किये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपर्द किया। जिसकों श्री प्रकाश कानि. से बन्द करवाकर सुरक्षा की दृष्टि सें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री राजुसिंह नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुचा। जहां पर श्री प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर मिला। जिसकों मैनें कहा कि एईएन सुनील माथुर का फोन आया क्या। तब उसनें मना किया। जिस पर मैनें मेरे फोन सें एईएन श्री सुनील माथुर के फोन पर कॉल कर स्पीकर ऑन कर प्रकाश सें बात करवाई। जिस पर एईएन श्री सुनील माथुर नें अपने हिस्से की रिश्वति राशि 15000 रूपयें कम्प्युटर ऑपरेटर श्री प्रकाश को देनें के लिए कहा। तब प्रकाश नें उनके हिस्से की रिश्वति राशि लेने से मना कर दिया। एवं स्वयं के हिस्से की रिश्वति राशि हेतु काम पूरा होनें के बाद लेने हेतु कहा। तब मैनें एएओं सुथार साहब जो कार्यालय में उपस्थित नही थे, जिस पर उनकों मेरे मोबाईल सें कॉल कर स्पीकर ऑन कर बात की। तब एएओं श्री सुथार साहब नें कहा कि एक्सईएन साहब व एईएन साहब के साईन बाकी है। एवं मैनें जब उनसें पैसें की बात की तो टेलीफोन पर पैसें की बात को टालतें हुए काम करनें की बात कही। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुना गया तों परिवादी के बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही होनें पर परिवादी के पास रखी रिश्वति राशि 15000 रूपयें व 5000 रूपयें दो अलग अलग सफेद लिफाफें में गवाह श्री जुबेर खान सें परिवादी की अलग अलग जेब से निकलवाकर लिफाफों मे डलवाकर लिफाफों को सरकारी वाहन की टूलबाक्स में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री सुनील माथुर से पुनः सम्पर्क होनें पर उनके बतायें दिन पर कार्यालय हाजा उपस्थित आवे। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सके। परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत देकर हमराहीयान कार्यालय हाजा उपस्थित आये। रिश्वति राशि के लिफाफों को सरकारी वाहन की टूल बाक्स में से श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 से निकलवाकर सुरक्षित कार्यालय के मालखाना की अलमारी में सुरक्षित रखवाई गई।

वक्त 06.15 पी.एम. पर गोपनीय कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता नही होनें के कारण जब भी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तब गवाहान को आवश्यकता होनें पर कार्यालय में तुरन्त उपस्थित होनें एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 07.02.2022 वक्त 10.20 ए.एम. पर परिवादी श्री राजुसिह नें अपनें मोबाईल नम्बर 7742195056 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9460453110 पर वाटसअप कॉल कर बताया कि आज आरोपी श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता आज अपनें कार्यालय जालोर में उपस्थित आयेगे। मुझे रिश्वति राशि सहित आज बुलाया है। जिस पर परिवादी को जालोर में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लेकर उच्चाधिकारियों को हालात अर्ज किये गये। कार्यवाही में श्री मेघसिह वरिष्ठ सहायक की आवश्यकता होनें के कारण कार्यालय श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर के कार्यालय का साथ कार्य कर रहे को तलब किया गया, जो कार्यालय हाजा उपस्थित

आया। गोपनीय कार्यवाही में पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को तलब किया गया था, जो उपस्थित आये है।

वक्त 11.15 ए.एम. पर मन् डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री मेघसिंह वरिष्ठ लिपिक, श्री भंवरलाल कानि., श्री गणेशराम कानि 219,.श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक खम्माराम एवं मय ब्यूरों का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, रिश्वति राशि 15000 रूपयें एवं 5000 रूपयें के दो सफेद लिफाफे श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 से कार्यालय के मालखानें की अलमारी से रूबरू गवाहान निकलवाकर उक्त राशियों के लिफाफे कों कार्यालय के सरकारी वाहन के टूल बाक्स में रखवाई जाकर, साफ पीने के पानी की बोतलें, नहानें का साबुन, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से जालोर के लिए रवाना हुए।

वक्त 06.00 पी.एम. पर हालात इस प्रकार है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से रवाना होकर वक्त 01.45 पी.एम. पर स्वास्थ्य विभाग जालोर के कार्यालय के पास रूककर परिवादी श्री राजुसिह के इन्तजार में मुकीम हुए।

वक्त 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री राजुसिंह पूर्व से पाबन्द शुदा उपस्थित आया। जिस पर परिवादी श्री राजुसिह की जामा तलाशी गवाह श्री जुबेर खान से लिरवाई जाकर परिवादी के पास उसका मोबाईल फोन व निजी वाहन बोलेरो कैम्पर की चाबी उसके पास रहनें दी गई, उक्त के अतिरिक्त कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज व राशि एवं वस्तु नही रहनें दी गई, तत्पश्चात् रिश्वत राशि 15000 रूपयें व 5000 रूपयें के दो सफेद लिफाफे कार्यालय के सरकारी वाहन की दराज में से गवाह श्री प्रहलादसिंह पटवारी से निकलवाकर सरकारी वाहन चालक से दराज कों लॉक करवाया गया, कार्यालय में पूर्व से तैयार फर्द पेशकसी गवाह श्री जुबेर खान को सुपर्द कर मिलान करवाई गई तों फर्द पेशकसी के हुबहु रिश्वत राशि 15000 रूपयें व 5000 रूपयें होना पाई गई। जिस पर श्री जुबेर खान स्वतन्त्र गवाह से रिश्वत राशि 15000 रूपयें परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब व 5000 रूपयें परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि जब आरोपीगण द्वारा रिश्वति राशि चाहनें पर ही उसे जेब से निकालकर अपनें अपने हिस्से की देवे। उससे पहलें रिश्वति राशि कों नही छुए। जिन दोनों सफेद लिफाफे में रिश्वति राशि रखी गई थी उन दोनों सफेद लिफाफों कों गवाह श्री प्रहलादसिंह चौहान से जलवा कर नष्ट करवाया जाकर कार्यालय के सरकारी वाहन से नहानें का साबुन व पीनें के पानी की बोतलें निकलवाकर परिवादी को छोडकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के हाथ साबुन व पीनें के पानी से साफ धुलवाये गये। व साबुन कों साफ पानी से धोकर पुनः सरकारी वाहन में रखा जाकर सरकारी वाहन को गोपनीय स्थान पर खडा करवाया जाकर परिवादी को आरोपीगण से रिश्वति राशि आदान प्रदान का निर्णय लेकर श्री प्रकाश कानि. को हिदायत दी गई कि आप परिवादी के साथ उसके निजी वाहन सें स्वास्थ्य विभाग जालोर के कार्यालय के गेट के पास गोपनीय रूप से गाडी से उतर कर परिवादी की निगरानी हेतु मुकीम रहे। तत्पश्चात परिवादी कों कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर कों श्री प्रकाश कानि. से ऑन करवाकर सुपर्द कर परिवादी के निजी वाहन बोलेरो कैम्पर सें प्रकाश कानि. व परिवादी को स्वास्थ्य विभाग जालोर के लिए रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के आसपास गोपनीय रूप से परिवादी के गोपनीय ईशारें के इन्तजार में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री राजुसिंह बिना ईशारा किये स्वास्थ्य विभाग जालोर के कार्यालय सें बाहर आया। जिस पर श्री प्रकाश कानि. से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी श्री राजुसिंह से प्राप्त कर बन्द करवाया गया। परिवादी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर स्वास्थ्य विभाग जालोर मे श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता के कार्यालय में गया तों वहां पर श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता नही मिले व कार्यालय में श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट व श्री प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर मिले। जिन्होनें बताया कि श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता अभी कार्यालय में नही है। कहीं बाहर गये हुए है व श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट नें अपनें हिस्से की रिश्वति राशि 5000 रूपयें बाद मे मेरे काम होनें के बाद लेनें हेतु कहनें पर मै बाहर आ गया हू। इतनें में परिवादी के मोबाईल नम्बर 7742195056 पर आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414978654 से कॉल आया। जिसकों परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर श्री प्रकाश कानि. सें उक्त कॉल कों कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्डर कों ऑन करवाकर रिकॉर्ड करवाई गई। जिसमें श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता नें परिवादी को मोबाईल वार्ता में बताया कि मै अभी किसी काम सें भीनमाल में हूं। आप भीनमाल आ जाओ। जिस पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि सें अपनें पास सुरक्षित रखा। आईन्दा उक्त वार्ताओं की फर्द ट्रासंक्रिप्टे मूर्तिब करवाई जावेगी।

तत्पश्चात् वक्त 02.40 पी.एम. पर आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी को भीनमाल बुलानें पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही भीनमाल में करनें का निर्णय लेकर मय हमराहीयान सरकारी वाहन एवं परिवादी के निजी वाहन सहित जालोर से भीनमाल के लिए रवाना होकर वक्त 04.30 पी.एम. पर भीनमाल में मुख्य बाजार में पहुंचकर सरकारी वाहन एवं परिवादी के निजी वाहन को गोपनीय रूप सें खडा करवाकर वक्त 04.44 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 7742195056 से आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414978654 पर कॉल करवाकर कॉल को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस श्री प्रकाश कानि. को सुपर्द कर रिकॉर्डर को ऑन करवाकर उक्त कॉल को रिकॉर्ड करवाया गया। जिसमें आरोपी श्री सुनील माथुर द्वारा परिवादी कों आईसीआईसीआई बैक व कार्प हौटल के पास पहलें मिलें थे, वहां पर बुलाना पाया गया। आईन्दा उक्त वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट मूर्तिब करवाई जावेगी।

तत्पश्चात् वक्त 05.14 पी.एम. पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. से ऑन करवाकर आरोपी के बुलायें अनुसार परिवादी को आईसीआईसीआई बैक व कार्प हौटल के पास रिश्वति राशि आदान प्रदान हेतु रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान हौटल के आसपास अपनी उपस्थिति छुपातें हुए मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात् एक कार परिवादी के पास आकर रूकी। जिस पर परिवादी नें कार में ड्राईवर सीट के पास आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति सें बात कर अपनी पेन्ट की दोनों जेब में से अपनें पास रखी रिश्वति राशि निकाल कर देने के बाद परिवादी नें अपनें पहनें हुए चश्में को उतारकर हाथ से ट्रेप पार्टी की ओर देखकर रिश्वत राशि आदान प्रदान हो जानें का गोपनीय ईशारा वक्त 05.20 पी.एम. पर करनें पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हमराहीयान जाब्ता के सरकारी वाहन सहित परिवादी के पास पहुंचे। जिस पर परिवादी नें कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर अपनें पास से निकालकर पेश किया। जिसकों प्रकाश कानि. सें स्वीच ऑफ करवाकर सुरक्षा की दृष्टि सें सुरक्षित अपनें पास रखा। आईन्दा रिश्वति राशि लेन देन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। परिवादी के द्वारा स्विप्ट कार आरजे 38 सीए9191 में ड्राईवर सीट के पास आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता है, जिन्होनें मेरे से अभी अभी मेरी एसडी राशि रिलीज करनें की एवज में पूर्व में मांग के अनुसार अपनें लिए अपनें हिस्से के 15000 रूपयें व श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट के हिस्से के 5000 रूपयें रिश्वति राशि मेरे से अभी प्राप्त कर अपनें पहनें हुए कमीज की जेब में रखें है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्विप्ट कार आरजे 38 सीए9191 में ड्राईवर सीट के पास आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को हमराईन का परिचय देकर उसका परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर उम्र 65 साल निवासी 68, वैष्णव नगर, बी.आर. बिडला स्कूल के पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर होना बताया।

जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता सें परिवादी श्री राजुसिंह सें प्राप्त रिश्वति राशि के बारें में पूछनें पर श्री सुनील माथुर नें बताया कि परिवादी श्री राजुसिंह की एसडी राशि रिलीज करनें के लिए मैनें अपनें लिए अपनें हिस्से के 15000 रूपयें व श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट के हिस्से के 5000 रूपयें अभी श्री राजुसिंह सें प्राप्त किये है, जो मेरे पहनें हुए कमीज की जेब में है। जिस पर कार में ड्राईवर सीठ पर बैठे व्यक्ति सें उसका परिचय पूछनें पर श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 30 साल निवासी 71, राजहंस टाउनशीप तलहटी, आबूरोड जिला सिरोही व पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति सें परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाति अग्रवाल उम्र 56साल निवासी 71, राजहंस टाउनशीप तलहटी, आबूरोड जिला सिरोही होना बताया। जिसके बारें में आरोपी श्री सुनील माथुर को पूछनें पर बताया कि इनकी आकोली व वडाभाडवी में हास्पीटल के कार्य की एवज में साईड विजीट करनें के लिए इनके साथ जालोर सें यहां पर आया था। जिसका साईड विजीट के बाद इनके साथ ही इनकी कार सें यहां राजुसिंह से मिलनें आया हूं। मौके पर मुख्य बाजार होनें एवं बाजार में भीडभाड होनें के कारण व कार्यवाही हेतु उचित व्यवस्था नही होनें के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पास ही स्थित उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय भीनमाल में करनें का निर्णय लेकर आरोपी श्री सुनील माथुर को स्वीफ्ट कार से उतार कर उसी अवस्था में कार्यालय के सरकारी वाहन में बिठाकर सरकारी वाहन, परिवादी के निजी वाहन व आरोपी जिस वाहन में आया, उस वाहन सहित कार्यवाही स्थल सें उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल के रवाना होकर कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल पहुंचे। जहां पर श्री मोहनलाल कानि. उपस्थित मिला। जिसकों ब्यूरों की ट्रेप कार्यवाही बाबत अवगत करवाकर अग्रिम कार्यवाही उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय भीनमाल में करनें हेतु बताया गया, जिस पर श्री मोहनलाल कानि. नें उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय भीनमाल में ट्रेप कार्यवाही करनें बाबत सहमती प्रदान की गई। इसी दौरान आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता नें श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट के हिस्से की ली गई 5000 रूपयें रिश्वति राशि के बारें में कुन्दन सुथार से मोबाईल पर वार्ता करनें हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनील माथुर के मोबाईल नम्बर 9414978654 से श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट

के मोबाईल नम्बर 9414302306 पर आरोपी श्री सुनील माथुर के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. को सुपर्द कर ऑन करवाकर वार्ता को रिकॉर्ड करवाया गया। उक्त वार्ता में आरोपी श्री कुन्दन सुथार को ब्यूरों की कार्यवाही की भनक लगनें के कारण श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता से अपनें हिस्से की 5000 रिश्वति राशि के बारें में स्पष्ट वार्ता नही करना पाया गया है। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षा की दृष्टि सें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। आईन्दा उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जावेगी। उक्त कार्यवाही के बारें में उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन कर कार्यवाही में अन्य आरोपी श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट व श्री प्रकाश संविदाकर्मी कम्प्युटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर कार्यवाही में वांछित होनें के कारण दस्तायाब करवानें हेतु एसीबी चौकी जालोर को निर्देशित करवानें हेत निवेदन किया गया। जिस कार में आरोपी को दस्तयाब किया गया है, उस कार मालिक व उसके पुत्र की कार्यवाही में कोई आवश्यकता नही होनें के कारण उसकी कार आरजे 38 सीए 9191 सहित कार्यवाही स्थल सें रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी राजूसिंह एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल में से साफ पीने का पानी बोतल में मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री सुनील माथुर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री सुनील माथुर के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंग झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री जुबेर खान से आरोपी श्री सुनील माथुर की जामा तलाशी लिरवाई गई तो पहनें हुए कमीज की उपर की बांयी जेब में 500–500 रूपयें के नोटों के दो गड्डिया होना पाई गई। जिस पर उक्त गड्डियों की राशि कों कार्यालय में पूर्व सें तैयार फर्द पेशकसी गवाह श्री प्रहलादसिंह चौहान को सुपर्द कर उक्त राशि की गड्डियों को बोल बोल कर मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार एक गड्डी की राशि 15000 रूपयें फर्द के मुताबिक होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 RW319822
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 NB 813070
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 906205
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 RN 762437
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 CR 425225
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 GQ 392766
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 BB 608821
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 DN 236166
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 PL 760140
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 MW 735095
11.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 FE 752939
12.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 MA 935115

13.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 NH 423945
14.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 VQ 896854
15.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 PC 445037
16.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 BL 644817
17.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 EV 855079
18.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 PC 796611
19.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 AP 059607
20.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 EV 710653
21.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 UN 855697
22.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 BA 809761
23.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 SE 126761
24.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 QR 480420
25.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 DA 049076
26.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 HM 080232
27.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 ED 036727
28.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 UE 521355
29.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 DS 836301
30.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 RK 990959

तत्पश्चात् दूसरी गड्डी की राशि 5000 रूपयें फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तों फर्द के मुताबिक होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 HF 740251
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 UB 803647
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 LP 482972
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 UA 790578
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 WN 785698
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 TW 814192
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 SP 069652
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 GG 688346
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 DN 975137
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 CN 690162

उक्त भारतीय मुद्रा 15,000/– एवं 5000 रूपयें को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ अलग अलग सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री सुनील माथुर की जामा तलाशी गवाह श्री जुबेर खान सें लिरवाई गई तों आरोपी श्री सुनील माथुर के पहनी हुए पेन्ट की जीन्स पेन्ट की आगे की दायी जेब में एप्पल कम्पनी का आईफोन 11 जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 359130337207718 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 7727992654 एवं दूसरा फोन एमआई ए–2 जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 866078072029073 2. 866078042029081 जिसमें एक जीयों कम्पनी की सिम नम्बर 8209492488 व दूसरी बीएसएनएल कम्पनी की सिम नम्बर 9414978654 होना पाई गई। उक्त दोनों मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिये गये। आरोपी ने अपनें मोबाईल फोन एप्पल के पासवर्ड 150547 एवं एमआई ए–2 के पासवर्ड 1518 होना बताया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री सुनील माथुर की जामा तलाशी में पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में कॉफी कलर का पर्स होना पाया गया। जिसमें 500–500 रूपयें के 20 नोट, 50 रूपयें का एक नोट, 20 रूपयें के तीन नोट, 10 रूपयें का एक नोट व एक सिक्का व 5 रूपयें का एक सिक्का कुल 10135 रूपयें होना पाई गई। उक्त राशि के बारें में आरोपी श्री सुनील माथुर को पूछनें पर कोई सन्तोषजनक जबाब नही देनें पर कब्जा ब्यूरों ली गई। आरोपी के पर्स में आरोपी सुनील माथुर का एक आधार कार्ड जिसके आधार नम्बर 8244 1539 9122 , सुनील माथुर पुत्र श्री अमृत लाल माथुर 68, वैष्णव नगर, बी.आर. बिरला स्कूल के पास जोधपुर होना पाया गया। उक्त आधार कार्ड को कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी का पर्स आरोपी को पुनः लौटाया गया। आरोपी की जामा तलाशी से एक कालें रंग की नोट बुक जिस पर विमल स्पाईरल नोट बुक अंकित है, पाई गई। जिसमें आरोपी श्री सुनील माथुर के साईड विजिट व कार्य का वर्णन अंकित है, जिस पर पेज संख्या 01 से 10 तक अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरों ली गई।

तत्पश्चात आरोपी का शर्ट जहां से रिश्वति राशि बरामद स्थान जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण आरोपी श्री सुनील माथुर के पहननें हेतु दूसरें शर्ट की व्यवस्था करवाकर पहने हुए शर्ट को उतरवाकर दूसरा शर्ट पहनवाया गया। तत्पश्चात् दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी राजूसिंह एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू ट्रेप बॉक्स में से एक कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलास में कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल में से साफ पीने का पानी बोतल में मंगवाया जाकर उक्त कांच की गिलास को आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री सुनील माथुर के पहनें हुए शर्ट की उपर की बायी जेब को उल्टा करवाकर धोवन लिया गया तों धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एस.–1 व एस.–2 अंकित किया गया। उक्त शर्ट की उपर की बायी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद स्थान पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त शर्ट कों एक कपडें की थैली में सील मोहर कर थैली में प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एस अंकित कर कब्जा ब्यूरों लिया गया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता को परिवादी श्री राजुसिंह के कार्य से सम्बन्धित एसडी राशि की पत्रावली के बारें में पूछनें पर बताया कि परिवादी के कार्य की एसडी राशि पुनः लौटानें हेतु मेरे द्वारा आज सुबह मेरे कार्यकाल जुलाई 2017 से नवम्बर 2021 तक संविदाकर्मी के रूप में सहायक अभियन्ता के पद पर स्वास्थ्य विभाग जालोर में रहा था। इस कारण नवम्बर 2021 से पूर्व की दिनांक में परिवादी के कार्य की पत्रावली पर आज बैक डेट में हस्ताक्षर कर पत्रावली श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट कों दी गई थी। जो उसके पास ही है। वर्तमान में ब्यूरों कार्यवाही की भनक लगनें के कारण श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट अपनें कार्यालय से फरार है एवं कार्यालय पर संविदाकर्मी प्रकाश ब्यूरों जाब्ता चौकी के जानें पर उपस्थित मिला। जिसकों दस्तायाब करनें के निर्देश दिये गये। कार्यवाही के दौरान ही ब्यूरों जाब्ता जालोर चौकी द्वारा फरार एकाउन्टेट कुन्दन सुथार को भी दस्तयाब कर लिया गया है जिनकों जालोर पहुंच कर पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज भी कार्यालय खुलनें पर जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर उम्र 65 साल निवासी 68,वैष्णव नगर, बी.आर. बिडला स्कूल के पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर हाल प्राईवट व्यक्ति का अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर उम्र 65 साल निवासी 68, वैष्णव नगर, बी.आर. बिडला स्कूल के

पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। बरामदगी रिश्वति राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही की फर्द मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रनिंग नोट की गई।

वक्त 9.30 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर उम्र 65 साल निवासी 68,वैष्णव नगर, बी.आर. बिडला स्कूल के पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर हाल प्राईवट व्यक्ति को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

वक्त 10.00 पी.एम. पर आरोपी श्री सुनील माथुर, ट्रेप बाक्स ब्यूरो स्टाफ को सुपुर्द कर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान, परिवादी श्री राजुसिंह, श्री मेघराज हैड कानि. मय सरकारी वाहन मय चालक खम्माराम के घटना स्थल होटल कार्प के पास का नक्शा मौका मूर्तिब करनें हेतु कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल सें रवाना हुआ।

वक्त 10.40 पी.एम. पर परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका रूबरू दोनो गवाहान के समक्ष घटना स्थल पर रोड लाईट की रोशनी की उचित व्यवस्था होनें पर श्री मेघराज हैड कानि.नम्बर 63 के हस्त लिखित से मूर्तिब करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल उपस्थित होकर शामिल रनिंग नोट किया गया। व आरोपी व ट्रेप बॉक्स को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपनें जिम्में लिया।

वक्त 11.05 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री राजुसिंह, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व आरोपी श्री सुनील माथुर मय सरकारी वाहन एवं परिवादी के निजी वाहन के ब्यूरो जाब्ता के मय ट्रेप बाक्स मय जब्त शुदा प्रादर्श एवं आईटम, रिश्वति राशि एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, प्रिन्टर मय लेपटॉप, ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली मय दस्तावेजात के कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल सें कार्यवाही के अन्य आरोपी जो एसीबी जालोर द्वारा दस्तायाब किये गये, कों एसीबी जालोर से प्राप्त करनें हेतु जालोर के लिए रवाना हुए।

दिनांक 08.02.2022 वक्त 03.05 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय हमराहीयान के कार्यवाही स्थल कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल से रवाना होकर जालोर पहुंचकर आरोपी श्री कुन्दन सुथार एकाउन्टेट व श्री प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कों दस्तायाब किये गये को प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही बाद पूछताछ कार्यालय में करनें का निर्णय लेकर जालोर से रवाना होकर स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुंचे।

वक्त 03.15 ए.एम पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री कुन्दन सुथार पुत्र श्री लच्छीराम जी जाति सुथार उम्र 48 साल निवासी ग्राम उम्मेदपुर तहसील आहोर जिला जालोर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जालोर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

वक्त 03.25 ए.एम पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री रामलाल जी जाति माली उम्र 37 साल निवासी नागरिक बैक के सामने, शास्त्रीनगर कॉलोनी कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली जिला जालोर हाल संविदाकर्मी कम्प्युटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी। रात्रि अधिक होनें के कारण दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री राजुसिंह को सुबह 08.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होनें की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।

वक्त 03.37 ए.एम पर आरोपी श्री सुनील माथुर, श्री कुन्दन सुथार, श्री प्रकाश के स्वास्थ्य परीक्षण व कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होनें के कारण रात्रि राहदारी हेतु पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में रखनें हेतु पृथक पृथक तहरीर जारी कर श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक पुलिस, आरोपी श्री सुनील माथुर, श्री कुन्दन सुथार, श्री प्रकाश का स्वास्थ्य परीक्षण करवानें व पुलिस थाना उदयमन्दिर में जमा करवानें हेतु श्री गणेश कानि., श्री रामचन्द्रसिंह कानि., श्री देवाराम कानि. को कार्यालय के सरकारी वाहन मय चालक खम्माराम सहित कार्यालय से रवाना किया गया।

वक्त 03.45 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी श्री सुनील माथुर के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, तथा, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 15,000 रूपयें व 5000 रूपये, आरोपी के दो मोबाईल फोन मय सिम के, आरोपी का आधार कार्ड, एक डायरी, संदिग्ध राशि 10135 रूपयें, शर्ट की उपर की बांयी जेब का धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क एस. 1 व एस. 2, शर्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क एस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये।

वक्त 04.30 ए.एम. पर श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक मय ब्यूरों स्टाफ श्री देवाराम कानि., रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक खम्माराम के आरोपी श्री सुनील माथुर, श्री कुन्दन सुथार, श्री प्रकाश का राजकीय चिकित्सालय सेटेलाईट पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर तीनों आरोपीगण को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात जमा करवाया गया। श्री गणेश कानि. नम्बर 219 को आरोपीगण की निगरानी हेतु पुलिस थाना उदयमन्दिर छोडकर उपस्थित आया। तहरीरे शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 07.50 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री राजुसिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आयें है।

वक्त 08.05 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें 1. परिवादी श्री राजुसिंह एवं आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता के मध्य दिनांक 20.01.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप से पूर्व टेलीफोनिक वार्ता, 2. रिश्वति राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप दिनांक 21.01.2022 को परिवादी श्री राजुसिंह व आरोपी श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, सह आरोपी श्री कुन्दन सुथार सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एवं दूसरे सह आरोपी श्री प्रकाश हाल संविदाकर्मी के मध्य हुई रूबरू वार्तालाप, 3. रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व दिनांक 27.01.2022 को परिवादी श्री राजुसिंह व आरोपी श्री सुनील माथुर के मध्य हुई टेलीफोनिक वार्ता एवं 4. लेन देन से पूर्व रूबरू एवं टेलीफोनिक वार्तालाप दिनांक 27.01.2022 को परिवादी श्री राजुसिंह व सह आरोपी श्री कुन्दन सुथार व दूसरे सह आरोपी श्री प्रकाश के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, उक्त सभी वार्तालाप कों दोनो गवाहान व परिवादी श्री राजुसिंह के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री राजुसिंह के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री सुनील माथुर, श्री कुन्दन सुथार, श्री प्रकाश एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री राजुसिंह द्वारा एक आवाज अपनी व अन्य आवाजें आरोपीगण सुनील माथुर, कुन्दन सुथार, प्रकाश की होना बताया। उक्त फर्दात पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की पांच सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की चार सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व तीन सीडी आरोपीगण की मानकर तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान ही श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक पुलिस को आरोपीगण के कोविड टेस्ट हेतु तहरीरे सुपर्द कर आरोपीगण को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात सें प्राप्त कर चौकी पर लानें हेतु मय मय ब्यूरों स्टाफ श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 व श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मय सरकारी वाहन टवेरा व चालक खम्माराम के रवाना किया गया था जिस पर श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक पुलिस मय कानि. श्री देवाराम व श्रीमति सुशीला महिला कानि. के चालक श्री खम्माराम के मय आरोपीगण को लेकर चौकी पर उपस्थित आया। श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक नें आरोपीगण कों पुलिस थाना उदयमन्दिर से प्राप्त कर आरोपीगण का ईएसआई डिस्पेन्सरी से कोविड टेस्ट करवाकर हाजिर आये।

वक्त 01.05 पी.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें 1. रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व दिनांक 07.02.2022 को परिवादी श्री राजुसिंह व सह आरोपी श्री कुन्दन सुथार एवं प्रकाश के मध्य हुई रूबरू वार्तालाप, 2. रिश्वति राशि लेन देन से परिवादी श्री राजुसिंह एवं आरोपी श्री सुनील माथुर सहायक अभियन्ता के मध्य दिनांक 07.02.2022 को हुई टेलीफोनिक वार्ता, 3. रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व दिनांक 07.02.2022 को परिवादी श्री राजुसिंह व सह आरोपी श्री कुन्दन सुथार हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के मध्य हुई टेलीफोनिक वार्तालाप, 4. रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व दिनांक 07.02.2022 को परिवादी श्री राजुसिंह व आरोपी श्री सुनील माथुर के मध्य हुई टेलीफोनिक वार्ता, 5.परिवादी श्री राजुसिंह व आरोपी श्री सुनील माथुर के मध्य रिश्वति राशि लेन देन के समय टेलीफोनिक व रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है, उक्त सभी वार्तालाप कों दोनो गवाहान व परिवादी श्री राजुसिंह के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी

श्री राजुसिंह के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व व रिश्वति राशि लेन देन की श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री सुनील माथुर, श्री कुन्दन सुथार, श्री प्रकाश एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री राजुसिंह द्वारा एक आवाज अपनी व अन्य आवाजें आरोपीगण सुनील माथुर, कुन्दन सुथार, प्रकाश की होना बताया। उक्त फर्दात पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की पांच सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की चार सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व तीन सीडी आरोपीगण की मानकर तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना की गई।

वक्त 04.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की कोई आवश्यकता नही होनें के कारण कार्यालय से रूखसत किया गया। परिवादी श्री राजुसिंह के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली हेतु अधिशाषी अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर को प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया है। पत्रावली प्राप्त होनें पर अनुसंधान कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

अब तक की कार्यवाही सें परिवादी श्री राजुसिंह कों वर्ष 2015 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला जालोर के वर्क ऑर्डर ईई/एमएच/जालोर/35/2014–15 के तहत ग्राम पाथेड़ी जिला जालोर में आवासीय क्वार्टर पीएचसी भवन क्षेत्र में बनाये थे, जिसका अंतिम बिल पेश करके कार्य की एनओसी प्राप्त कर ली गई थी। उक्त कार्य का टेन्डर करीब 85 लाख रूपये था जिसमें से करीब 65 लाख का कार्य करवाया गया था। उसके बाद वर्ष 2017 में कार्य पूर्ण करवाया जाकर लागत राशि के बिल पास करवाये गये। उक्त टेन्डर के कार्य राशि का 10 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट/एसडी करीब 6.50 लाख रूपये विभाग में जमा थे। परिवादी श्री राजुसिंह की एसडी राशि रिलीज करने के बदले में श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी सें दिनांक 21.01.2022 व दिनांक 27.01.2022 को अपनें स्वयं के हिस्सें के लियें एसडी राशि का 02 से 03 प्रतिशत कमीशन के हिसाब सें 15000 रूपयें रिश्वति राशि की मांग करना, दिनांक 07.02.2022 कों परिवादी श्री राजुसिंह सें उसकी एसडी राशि रिलीज करनें की एवज में भीनमाल जिला जालोर में 15000 रूपयें स्वयं के हिस्से व 5000 रूपयें श्री कुन्दन सुथार सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के हिस्से के लेतें हुए रंगे हाथों गिरप्तार होना, आरोपी श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के दोनों हाथों का धोवन क्रमश हल्का गुलाबी व झाईनुमा प्राप्त होना, आरोपी श्री सुनील माथुर के पहनी हुई शर्ट की उपरी जेब का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना, एवं सह आरोपी श्री कुन्दन सुथार सहायक लेखाधिकारी द्वितीय स्वास्थ्य विभाग जालोर द्वारा दिनांक 21.01.2022 कों दौरानें मांग सत्यापन वार्तालाप में परिवादी श्री राजुसिंह से एसडी राशि रिलीज करवानें के लिए अपनें मेहनताना का खर्चा पानी की मांग करना एवं बैक डेट में एईएन श्री सुनील माथुर से मिलीभगत कर हस्ताक्षर करवाना एवं सुनील माथुर के कार्यकाल के पैण्डिग बिल एवं एसडी राशि के बदलें सुनील माथुर के मार्फत रिश्वत राशि की मांग करना ईत्यादि एवं सह आरोपी श्री प्रकाश द्वारा सुनील माथुर सहायक अभियन्ता को परिवादी के कार्य को करनें के लिए तैयार करना, एवं कार्य पूर्ण करवानें के उपरान्त रूपयें लेनें की मांग करना, एवं उपरोक्त तीनों आरोपीगण श्री सुनील माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, श्री कुन्दन सुथार सहायक लेखाधिकारी द्वितीय स्वास्थ्य विभाग जालोर, श्री प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर द्वारा परिवादी की एसडी राशि रिलीज करनें की एवज में मिलीभगत करके बेक डैट में एसडी राशि रिलीज करवानें की बात कर सेवानिवृत्त एईएन सें दिनांक 07.02.2022 को अवैधानिक रूप सें स्वयं के पृथक पृथक लाभ लेनें के लिए हस्ताक्षर करवाना ईत्यादि आरोप प्रमाणित पाये गये है।

अतः आरोपी 1. श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर उम्र 65 साल निवासी 68,वैष्णव नगर, बी.आर. बिडला स्कूल के पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर, एवं सह आरोपी आरोपी 2. श्री कुन्दन मल सुथार पुत्र श्री लच्छीराम जी जाति सुथार उम्र 48 साल निवासी ग्राम उम्मेदपुर तहसील आहोर जिला जालोर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जालोर, सह आरोपी 3. श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री रामलाल जी जाति माली उम्र 37 साल निवासी नागरिक बैक के सामने, शास्त्रीनगर कॉलोनी कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली जिला जालोर हाल संविदाकर्मी कम्प्युटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(डा० दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपी (1)श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर, निवासी 68, वैष्णव नगर, बी.आर.बिडला स्कूल के पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग जालोर,(2)श्री कुन्दन मल सुथार, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग जालोर एवं (3)श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री रामलाल निवासी नागरिक बैंक के सामने शास्त्रीनगर कॉलोनी, जालोर हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 37/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.2.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 350-55 दिनांक 08.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।